प्रेषक

सुरेश कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में

मुख्य विकास अधिकारी
बाराबंकी,
उ0प्र0।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 16 मार्च 2016**

विषय- विधान मण्डल के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों हेतु 'विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि' योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-2016 में धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान मण्डल के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक में विकास कार्य कराने हेतु 'विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि' योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 7560000000.00 /-(रूपये सात अरब छप्पन करोड मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-24/2015/519/अड़तीस-9-2014-02(बजट)/2013, दिनांक-03.06.2015 द्वारा मा0 सदस्यों हेतु विधान सभा/विधान परिषद क्षेत्रवार कुल धनराशि रू0 4,90,64,74,000.00 (रूपये चार अरब नब्बे करोड़ चौसठ लाख चौहत्तर हजार मात्र) निर्गत की गयी थी एवं तत्सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप संख्या-25/2015/545/अड़तीस-9-2015-04(बजट)/ 2014, दिनांक-10.06.2015 व कार्यालय ज्ञाप संख्या-26/2015/ 558/अड़तीस-9-15-04(बजट)/2014, दिनांक-22.06.2015 द्वारा संशोधन निर्गत किया गया था। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-28/2015/585/अड़तीस-9-2015-04(बजट)/2014, दिनांक-01.07.2015 द्वारा विधान सभा क्षेत्र-चरखारी, (महोबा) व फरेन्दा, (महराजगंज) हेतु धनराशि रू0 1,99,00,500.00 (रूपये एक करोड़ नियानबे लाख पॉच सौ मात्र) स्वीकृत किया गया था।

2- उल्लेखनीय है कि 'विधायक निधि' की दिनांक-03 जून, 2015 को निर्गत शासनादेश के समय बाराबंकी स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र रिक्त होने के कारण विधायक निधि की कोई धनराशि निर्गत नहीं की जा सकी थी। कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-530/सी0ई0ओ0-2-100/2-2015, दिनांक-08.03.2016 द्वारा विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र बाराबंकी स्थानीय प्राधिकारी से श्री राजेश कुमार यादव, सदस्य विधान परिषद के रूप में निर्वाचित होने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

3- वर्णित स्थिति के आलोक में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की प्रथम एवं द्वितीय किश्त की कुल निर्धारित धनराशि रू0 150.00 लाख (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) समेकित रूप से विधान परिषद **निर्वाचन क्षेत्र बाराबंकी स्थानीय प्राधिकारी, नोडल जनपद-बाराबंकी** हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के वैयक्तिक लेखा खाता में जमा की जायेगी। इस धनराशि का व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मार्गदर्शी सिद्वान्तों में उल्लिखित व्यवस्था/प्राविधानों तथा इस निमित्त समय-समय पर जारी शासनादेश के अनुसार ही किया जायेगा।

(2)- सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि की जानकारी तथा शासनादेश की प्रतिलिपि अपने-अपने सम्बन्धित मा0 विधान परिषद सदस्यों को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

(3)- इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30-03-2015 में किये गये प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक- "4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03-विधायक निधि-42-अन्य व्यय" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/ बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव ।

संख्या- 7/2016/119 (1) /अड़तीस-9-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा मुख्य विकास अधिकारी।
4- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
6- निजी सचिव, मा0 सभापति, विधान परिषद, उ0प्र0।
7- निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
9- अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
10- जिलाधिकारी, बाराबंकी, उ0प्र0।
11- कोषाधिकारी, बाराबंकी, उ0प्र0।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
13- नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3
14- गार्डबुक।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in